संख्या-85/2016/849/71-1-2016-जी-328/2013

प्रेषक

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु वायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/961, दिनॉक 15-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-19-हीमोफीलिया रोग की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-39-औषधि तथा रसायन में रू0 69,00,000/- (रू0 उनहत्तर लाख मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु मानक मद-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 69,00,000/- (रू0 उनहत्तर लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-531/दस-2016, दिनॉक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(जयवीर सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव

संख्या:- 85/2016/849(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।